महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

ज्ञान शांति मैत्री

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांकः 003/2003/का.आ./02–37/2023
दिनांक : 26.04.2023

परिपत्र

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों या विद्यार्थी संगठनों द्वारा लगायी जाने वाली सूचनाएँ/पोस्टर/बैनर लगाने के संबंध में पूर्व में निर्गत परिपत्र क्रमांक 003/2003/का.आ./02–62/2017 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा यह घोषित किया गया है कि गांधी हिल और नज़ीर हाट परिसर में स्थान निश्चित है। दोनों स्थानों पर दो बड़े आकार (4X8 फिट) के सूचना पट्ट की व्यवस्था है।

उपर्युक्त के संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देशों का पालन करना आवश्यक है :

1. दोनों स्थानों पर लगाए जानेवाले पोस्टर/बैनर/सूचनाएँ विद्यार्थियों के हित से संबंधित होनी अनिवार्य हैं।
2. कोई भी आपत्तिजनक सूचना तथा किसी व्यक्ति, समाज या समूह, संप्रदाय आदि की भावनाओं को आहत करने वाली, विद्यार्थियों के मध्य सौहार्द बिगाड़ने वाली, विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने वाली सूचना लगाना सर्वथा वर्जित रहेगा। ऐसी सूचना या सामग्री लगाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
3. कोई भी सूचना–पत्रक संबंधित कार्यक्रम के संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 15 दिनों तक सूचना पट्ट पर मान्य रहेगा।
4. उक्त दोनों निर्धारित सूचना पट्टों के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी अन्य स्थान/दीवार (बाहर/भीतर)/बोर्ड/गेट आदि पर सूचना/पोस्टर/बैनर लगाना/चिपकाना वर्जित होगा।

   इसके उपरांत भी अनधिकृत स्थान पर सूचना/पोस्टर/बैनर चिपकाए/लगाए जाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
5. निर्धारित सूचनापट्ट पर ए–4 आकार के कागज़ पर सूचना तथा 2x3 फिट से बड़ा पोस्टर/बैनर नहीं होना चाहिए।

उक्त परिपत्र के सातत्य में एतद् द्वारा समस्त संबंधित को पुनः अवगत कराया जाता है कि उपर्युक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले पोस्टर/बैनर स्वयं हटा लें अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा हटा दिये जायेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
26/04/23

प्रति (ई–मेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, छात्रावास अधीक्षक
(विभाग के सूचना पट्ट पर लगवाए जाने की अपेक्षा है।)

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय, 2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय, 3. कुलानुशासक कार्यालय,
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट, 5. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु) 6. संबंधित पत्रावली

पोस्ट– हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा–442001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA
ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in, **वेबसाइट/Website:** www.hindivishwa.org